Criminal Misc. Cases 600/2025

IN THE COURT OF
Addl. District Judge Court No. 2
AT, Unnao
(Presided Over by Ankita Shukla)
UPUN010085682025

Criminal Misc. Cases 600/2025

रामसेवक पासी.....बनाम.....आनन्द नरायन आदि।

<u>दिनांक- 23.06.2026</u>

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-173(4) बी.एन.एस.एस. मे कथन किया गया है कि प्रार्थी देवखेड़ा नवाबादग्रन्ट थाना बेहटा मुजावर जिला उन्नाव का निवासी है। तथा अनुसूचित जाति का पासी है। प्रार्थी ठेकेदार के पास मेट का काम करता है और काशी प्रसाद खेड़ा की सी०सी० रोड पर हो रहे कन्स्ट्रक्शन साइट की देखरेख वर्तमान समय में कर रहा था। दिनांक 05-11-2025 को समय । बजे दिन जे०ई० आनन्द नारायण जो कि जिला पंचायत में कार्यरत है साइट पर पहुंचे और साइट पर काम कर रहे मजदूरो से मॉ बहन की गंदी गदी गालियां देते हुए कहने लगे कि साले मै यहां की साइट का इंचार्ज हूँ तो मजदूरो ने बताया यहां पर रामसेवक मेट के रूप में कार्य करते है इस पर उपरोक्त जे०ई आनन्द नारायण प्रार्थी को गंदी गंदी गालियां देते हुए कहने लगे कि उस मेट को मेरे आफिस में भेज देना वरना यहां आकर जूतो से मारूंगा। प्रार्थी दिनॉक 06-11-2025 को समय साढे 12 बजे जिला पंचायत कार्यालय पहुंचा और सीधे जे०ई० आनन्द नरायण के आफिस में गया जहां पहले से मौजूद जे०ई० प्रदुम्न त्रिपाठी व इंजीनियर अखिलेश्वर मल जो कि आनन्द नरायण के साथ बैठे हुयें थे तथा वहां पर 2 तीन अज्ञात लोग भी बैठे थे प्रार्थी ने आनन्द नरायन से कहा कि कल आपने साइट पर जाकर बेवजह क्यो मुझे मॉ बहन की गालियां दी इतना सुनते ही वहां पर पहले से बैटे जेई आनंद नरायन व जेई प्रदुम्न त्रिपाठी व अखिलेश्वर मल सभी प्रार्थी को गंदी-गंदी गालियां देते हुए कहने लगे कि साले पासी इतनी हिम्मत कि तुम हमारें आफिस में आकर हमें ही धमकी दे रहा है। जेई प्रदुम्न त्रिपाठी ने जाति सूचक गालियां देते हुए कहा साले जाति के पासी तेरी ये हैसियत कि तू हम लोगो को उलाहना देगा। इस पर उन सभी लोगो के साथ बैठे लोगो ने कहा तुम्हे अगर काम करना है तो हमारे हिसाब से करना होगा इतने में शोर गुल पर साथ आये मोनू रावत भी अंदर आ गये तो सभी लोगों ने एक राय होकर प्रार्थी व मोनू रावत को बुरी तरह से मारा पीटा जिसमें प्रार्थी को काफी चोटे आयी तथा सार्वजनिक रूप से साले पासी कहकर अपमानित किया तथा मोनू को दीवार से बुरी तरह से लड़ा दिया तथा प्रार्थी पर धारदार हथियार से जान से मारने की नियत से जेई प्रदुम्न त्रिपाठी ने हमला कर दिया और आफिस में बंधक बना लिया किसी तरह गंभीर हालत में शोर गुल पर प्रार्थी व मोनू रावत

उपरोक्त सभी लोगो के बंधन से मुक्त हो पाये। इस पर सभी लोगो ने प्रार्थी को यह धमकी दी कि उसे कई बडे विभागीय लोगो का संरक्षण प्राप्त है और उन्ही के शह पर वह यह सब कर रहे है अगर तुम्हें यहां काम करना है तो हमारे हिसाब से करना होगा। प्रार्थी उसी दिन घटना की सूचना करने थाने गया उसकी कोई सुनवाई नही हुई नही चोटो का डाक्टरी मुआयना हुआ तब प्रार्थी ने सरकारी अस्पताल में अपनी व मोनू रावत की चोटो का डाक्टरी मुआयना करवाया। प्रार्थी डाक्टरी मुआयना कराने के बाद घटना की रिपोर्ट करने थाने गया उसकी रिपोर्ट नही लिखी गयी तब प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक उन्नाव दिया उस पर भी कोई कार्यवाही नही हुई तब यह प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। उपरोक्त मुल्जिमान ने संज्ञेय अपराध कारित किया है जिसका मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कराया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतएव श्रीमान जी से निवेदन है कि कोतवाली प्रभारी सदर उन्नाव को उपरोक्त मुल्जिमान के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कराये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करे।

आवेदक के द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र के साथ आवश्यक प्रपत्र दाखिल किये गये है।

संबंधित थाना कोतवाली से आख्या तलब की गयी। थाना की प्राप्त आख्या के अनुसार प्रा० पत्र में अंकित आरोपो के सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नही है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं आख्या का अवलोकन किया।

धारा-156(3) दं.प्र.सं. के निस्तारण के सम्बन्ध में नजीर Mrs Priyanka Srivistava and others Vs State of U.P. and others 2015 AIR SCW 2075 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत अभिप्रकट किया है कि मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार के भीतर उपयुक्त मामले मे तथ्य की जाचं हेतु अधिकृत है जिसके लिए यह शपथ-पत्र लेकर कार्यवाही करेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि तथ्यों की जांच करते समय आरोप के प्रकार पर विचार किया जाये क्योंकि अधिकाश मामले वैवाहिक, परिवारिक मतभेद, वाणिज्यिक मतभेद, भ्रष्टयाचार, चिकित्सीय उपेक्षा से सम्बन्धित होते है और ऐसे मामलों को बढ़ा चढ़ाकर विधिपूर्ण तरीके से तैयार कर न्यायालय में प्रेषित किया जाता है। उपरोक्त विनिश्चय में माननीय न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि प्रार्थना-पत्र मे दिये गये तथ्य की विश्वसनीयता को परखते हुए न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए धारा-156(3) दं.प्र.सं. के प्रार्थना-पत्र पर विचार करना चाहिये एवं मापदण्डों के अनुरूप ही उक्त पर आदेश पारित करना चाहिये।

विधि व्यवस्था **जोजेफ माधुरी उर्फ विशेश्वरी नन्दा आदि बनाम स्वामी सच्चिदानन्द हरिसाक्षी आदि सुप्रीम कोर्ट 2001 (Suppl.) A.C.C. पृष्ठ 951, सुरेश चन्द्र जैन-बनाम-मध्य प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 2001 Supreme Court पेज 571, मोहम्मद युसुफ-बनाम-आफाक जहाँ व अन्य 2006 (1) एस.सी.सी.(फौज.) पेज 1460** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा-156(3) दं.प्र.सं. के प्रार्थना-पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किया जा सकता है।

इसी संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **Naresh Kumar Valmiki v. State of U.P., Application under Section 482 No. 14443 of 2022 dated 17.10.2022,** wherein Division Bench of Hon. Allahabad High Court held that Exclusive Special Court or Special

Court under the SC/ST Act, 1989 can treat an application under Section 156(3) of Cr.P.C., as a complaint.

इसी संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **ओम प्रकाश अम्बेडकर बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य 2025 Live law (S.C.) 139** the allegations made in the complaint are simple, where the Court can straightaway proceed to conduct the trial, the Magistrate is expected to record evidence and proceed further in the matter, instead of passing the buck to the Police under Section 156(3) of the Cr.P.C. Of course, if the allegations made in the complaint require complex and complicated investigation which cannot be undertaken without active assistance and expertise of the State machinery, it would only be appropriate for the Magistrate to direct investigation by the police authorities. The Magistrate is, therefore, not supposed to act merely as a Post Office and needs to adopt a judicial approach while considering an application seeking investigation by the Police."

उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुक्रम में प्रार्थना-पत्र के अवलोकन से विदित है कि घटना दिनांक 06.11.2025 को समय 12.30 बजे उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थी को जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज, मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। आवेदक को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मे अभियुक्त के नाम व विवरण तथा साक्षियों के साक्ष्य की भी जानकारी है। विवेचना से किसी नये तथ्य के उद्भूत होने की कोई सम्भावना नही है। अतः आवेदक प्रार्थना-पत्र में किए गए तथ्यों के बाबत साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि अभियुक्तगण द्वारा किया गया कृत्य उनके पदीय कर्तत्यों के दौरान नही किया गया है।

प्रार्थना-पत्र में दर्शित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत मामले में तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज कर जाँच प्रकिया का अनुसरण करके आदेशिका पर विचार किया जाना न्यायोचित पाती है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत प्रकरण परिवाद के रूप में दर्ज हो। तद्नुसार प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा-223 बी.एन.एस.एस. दिनांक 03.09.2026 को पेश हो।

दि. 23.06.2026

(अंकिता शुक्ला)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी. ऐक्ट)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-2